दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 20-08-2025

आदेश • राज्य सरकार और एनएचएआई को नया शपथ पत्र देने के निर्देश, 19 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईवे पर मवेशियों के कारण हादसे बर्दाश्त नहीं, स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं: कोर्ट

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मवेशियों की समस्या को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान एनएच पर मवेशियों के जमघट और सड़क के किनारों पर ढाबों की वजह से भारी वाहनों की कतार होने पर नाराजगी जताई। कहा कि हाईवे पर मवेशियों के कारण हादसे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राज्य सरकार और एनएचएआई इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए तत्काल ठोस कदम उठाएं।

एनएचएआई समेत प्रदेश की सड़कों पर मवेशियों के जमघट से हो रहे हादसे और भारी वाहनों की चपेट में आकर लगातार हो रही मवेशियों की मौतों के मामलों पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। 31 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव, एनएचएआई के प्रोजेक्टर डायरेक्टर को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए थे। साथ ही एनएचएआई को मवेशियों को सड़क पर आने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के परिपालन में एनएचएआई ने मंगलवार को शपथ पत्र प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट सुनील ओटवानी, एडवोकेट अमित सोनी और पलाश तिवारी और एनएचएआई की तरफ से एडवोकेट धीरज वानखेड़े ने पक्ष रखा।

कहा-एनएच पर 7 मवेशियों के वाहन की चपेट में आने से मौत के मामले में जिम्मेदारी तय करें

नेशनल हाईवे पर अक्सर मवेशियों का जमघट नजर आता है। तस्वीर हाई कोर्ट के पास की।

एनएचएआई ने बताया- सड़क हादसे रोकने 6 बिंदुओं पर किए जा रहे हैं काम

एनएचएआई की तरफ से प्रोजेक्ट डायरेक्टर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि एनएच पर हादसे रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें तीन रूट पर पेट्रोलिंग वाहन तैनात कर गश्त बढ़ाई गई। पेंड्रीडीह में 20x20 मीटर का मवेशी चबूतरा बन रहा है। रतनपुर और बेलमुंडी में और शेड का प्रस्ताव। 7.35 किमी लंबी बांस की बाड़ लगाने की टेंडर प्रक्रिया शुरू। टोल प्लाजा पर घोषणाएं की जा रही हैं। जागरूकता के लिए पर्चे बांटने के साथ चेतावनी दी जा रही है। इसके अलावा दिन-रात मजदूर और टीमें लगाकर मवेशियों को हटाने की व्यवस्था। मवेशियों को रिफ्लेक्टिव नेक बेल्ट और हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया गया है।

उपाय सिर्फ एक सड़क पर नहीं, सभी में करें

हाई कोर्ट ने कहा कि अभी तक उपाय सिर्फ एनएच-130/49 यानी सिमगा से बिलासपुर और बाईपास तक सीमित हैं। रतनपुर होकर जाने वाले बिलासपुर–अंबिकापुर हाईवे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि इस सड़क पर भी जरूरी सुरक्षा उपाय करें। इसके अलावा हाई कोर्ट ने सड़क हादसे में 7 मवेशियों की मौत के मामले में अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं।

कंपनी ने कहा- जिम्मेदारी नहीं, फिर भी खर्च कर रहे करोड़ों रुपए

बिलासपुर-पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड ने पत्र लिखकर कहा कि लगातार प्रयासों के बावजूद स्थायी गौशाला नहीं होने से सड़कों पर मवेशियों की समस्या बनी हुई है। एग्रीमेंट के मुताबिक यह उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता, फिर भी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए करोड़ों का खर्च उठाना पड़ रहा है।

एनएचएआई ने मवेशियों को हटाने जिला पंचायत को दिए 5 लाख

गौशालाओं में रखे मवेशियों के लिए चारा-पानी की व्यवस्था करने के लिए पंचायतों की तरफ से रकम की मांग की गई थी। इस पर एनएचएआई ने 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं। एनएचएआई ने बिलासपुर की जिला पंचायत को रकम दे दी है।

कलेक्टर ने बताया- अतिक्रमण हटाने समेत अन्य उपाय कर रहे

बिलासपुर के कलेक्टर ने भी मंगलवार को शपथ पत्र प्रस्तुत किया, इसमें पेंड्रीडीह बाईपास पर अतिक्रमण हटाने, पुल के नीचे वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाने, स्ट्रीट लाइट सुधारने, काऊ-कैचर लगाने और नगर निगम व पंचायत द्वारा आवारा मवेशियों को हटाने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी।